सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. 35/4/2020-रा.भा. **दिनांक** 04.06.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संस्थान में लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय।

संस्थान में राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएँ लागू हैं जिनमें निदेशक, सीएसआईआर-सीरी द्वारा गठित राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर आवेदकों को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस समारोह में पुरस्कृत/सम्मानित किया जाता है। राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार मूल्यांकन समिति की दिनांक 20 अगस्त, 2024 की बैठक में लिए गए निम्नलिखित निर्णय निदेशक महोदय के अनुमोदन के उपरांत सभी सहकर्मियों के संज्ञान में लाए जाते हैं :

1.राजभाषा प्रोत्साहन योजना 1 एवं 2 का एकीकरण/विलयन एवं तत्संबंधी निर्णय :

क) कार्य की प्रकृति समान होने के कारण वर्ष 2024-25 से संस्थान में लागू सीएसआईआर-सीरी की मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना (योजना 1) तथा सीएसआईआर-सीरी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन योजना (योजना 2) का **एकीकरण/विलयन** कर दिया गया है।

ख) तदनुसार नई योजना का नाम **सीएसआईआर-सीरी कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण प्रोत्साहन योजना** होगा।

ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अनुभाग/समूह से हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले केवल 02 कार्मिकों की प्रविष्टियाँ स्वीकार की जाएँगी, जिसमें प्रशासनिक अनुभागों से सहकर्मियों के आवेदन को अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरांत प्रशासन नियंत्रक/वित्त एवं लेखा नियंत्रक/भंडार एवं क्रय अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा। इसी प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुभागों से प्राप्त प्रविष्टियों के मामले में संबंधित प्रभारी के उपरांत समूह प्रमुख/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

2. विज्ञान पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक दर्पण में प्रकाशित आलेखों/शोधपत्रों के संबंध में [योजना 4(3)]

वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना 4(3) के अंतर्गत संस्थान की वार्षिक विज्ञान पत्रिका 'इलेक्ट्रॉनिक दर्पण' में प्रकाशित लेखों में से सर्वश्रेष्ठ पाँच आलेखों/शोधपत्रों को ही रु. 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) की प्रोत्साहन राशि भेंट की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ आलेखों/शोधपत्रों का चयन राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

3. योजना 5 के अंतर्गत भी प्रत्येक अनुभाग/समूह से केवल दो प्रविष्टियों की स्वीकार्यता -

वर्ष 2024-25 से इस योजना के अंतर्गत भी प्रत्येक अनुभाग/समूह से अधिकतम प्रविष्टियों की संख्या उपर्युक्त मद सं. 1 (ग) के अनुसार होगी।

योजनाओं के संबंध में शेष सभी नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

04/06/2025

(मधुरंजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि :

1. निदेशक कार्यालय
2. सभी अनुभाग/समूह प्रमुख/विभागाध्यक्ष - कृपया इसे अपने सहकर्मियों की जानकारी में ला दें।
3. प्रमुख, एआईटीजी/एनएमसी - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. सूचना पट्ट